

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां

क0 नं0 121, द्वितीय तल, जिलापरिषद् भवन, मिनीसचिवालय, कोटा रोड, बारां (राज0) 325205

E-mail address- ddbaran.wcd@rajasthan.gov.in, ddbaran.wcd@gmail.com दूरभाष नं0- 07453-237012

क्रमांक: विज्ञप्ति / म.बा.वि. / 2026-27 / 958

दिनांक : 08/7/2026

विज्ञप्ति संख्या -2/ 2026

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आईडी	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/वार्ड	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त मानदेय पद	आरक्षित वर्ग
1	बाल विकास परि0 अधिकारी, अंता antacdpo@gmail.com	पलायथा	पलायथा	पलायथा-1	सहायिका	SC
2	बाल विकास परि0 अधिकारी, अटरू cdpoatru2@gmail.com	मूण्डला बिसौती	देगनी जागीर	देगनी जागीर	कार्यकर्ता	SC
3		मूण्डला बिसौती	देगनी जागीर	देगनी जागीर	सहायिका	SC
4		गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	सहायिका	Gen
5		अर्डाच्छ	पिपलोद	पिपलोद-1	सहायिका	Gen
6		किशनपुरा	कराडिया हाडा	कराडिया हाडा	सहायिका	Gen
7		शेरगढ	किशनपुरा मशाल दरान	किशनपुरा मशाल दरान	सहायिका	Gen
8	बाल विकास परि0 अधिकारी, बारां cdporural93@gmail.com	कोयला	कोयला	कोयला-5	कार्यकर्ता	ST
9		सीमली	सीमली	सीमली-प्रथम	कार्यकर्ता	Gen
10		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 39	वार्ड नं0 6	सहायिका	Gen
11		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 32	वार्ड नं0 31 प्रथम	सहायिका	Gen
12		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 4	नलका-II	सहायिका	Gen
13		नारेडा	बावडीखेडा	बावडीखेडा-I	सहायिका	Gen
14		नारेडा	गूगलहेडी	गूगलहेडी	सहायिका	Sc
15		करनाहेडा	लुहारिया	लुहारिया	सहायिका	Gen
16		बामला	बामला	बामला-II	सहायिका	Gen
17		फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर II	सहायिका	Gen
18		कोयला	कोयला	कोयला -4	सहायिका	Gen
19		मियाडा	मियाडा	मियाडा -I	सहायिका	Gen
20	बाल विकास परि0 अधिकारी, छबडा cdpochohabra@gmail.com	कडैयानाहेर	कडैयानाहेर	कडैयानाहेर प्रथम	कार्यकर्ता	Gen
21		मेतीपुरा	मेतीपुरा	मेतीपुरा	सहायिका	Gen
22		दीलोद	नरसिंहपुरा	नरसिंहपुरा	सहायिका	ST
23		छबडा	छबडा	शंकर कॉलोनी प्रथम	सहायिका	SC
24		उदपुरिया	उदपुरिया	उदपुरिया	सहायिका	Gen
25		नगर पालिका छबडा	वार्ड नं0 27,28	वार्ड नं0 19	सहायिका	Mino.
26		जेपला	भीलवाडा ऊंचा	भीलवाडा ऊंचा	सहायिका	Gen
27		मूण्डक्या	मूण्डक्या	मूण्डक्या	सहायिका	Gen
28		झरखेडी	खेजडा	खेजडा	सहायिका	Gen
29	बाल विकास परि0 अधिकारी, छीपाबडौद cdpochohipabarod@gmail.com	फूलबडौदा	मवासा	मवासा	सहायिका	Gen
30		कचनारियाकलां	श्रीपुरा	श्रीपुरा	सहायिका	Gen
31		खेडलाजागीर	मिश्रौली	मिश्रौली	कार्यकर्ता	Gen.
32		गोरधनपुरा	राजपुरा-खालसा	राजपुरा-खालसा	सहायिका	Gen
33		अमलावदाआली	नीमथूर	नीमथूर	सहायिका	Gen
34		मानपुरा	कोटडी	कोटडी	सहायिका	SC
35		गगवाना	उदपुरिया	उदपुरिया	सहायिका	Gen
36		मोखमपुरा	माधोपुर	माधोपुर	सहायिका	Gen
37		झनझनी	कोलूखेडा	कोलूखेडा	सहायिका	ST
38	बाल विकास परि0 अधिकारी, किशनगंज cdpo.kishanganj@r	कांकडदा	कांकडदा	कांकडदा-1	कार्यकर्ता	Gen.
39		खण्डेला	कोटीखेडा	कोटीखेडा	सहायिका	Gen
40		कागला बमोरी	बालाखेडा	बालाखेडा	सहायिका	Gen

41	ajasthan.gov.in	परानिया	अमरपुरा	अमरपुरा	सहायिका	Gen
42		करवरीकलां	अहिल्या बस्ती	अहिल्या बस्ती	सहायिका	Gen
43		बन्दाखुर्द	आनन्दपुरा	आनन्दपुरा	सहायिका	Gen
44		ख्यावदा	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	Gen
45		बरुनी	सुहावन	सुहावन	सहायिका	Gen
46	बाल विकास परि0 अधिकारी, शाहबाद shahbadcpo14@gm ail.com	ढिकवानी	रातईखुर्द	रातई- I (रातई, खुर्द)	कार्यकर्ता	Gen
47		दांता	दांता	दांता- I I I	कार्यकर्ता	Gen
48		शुभघरा	मुगावली	मुगावली	कार्यकर्ता	Gen
49		दांता	दांता	दांता- I I I	सहायिका	Gen
50		आगर	भरोली	भरोली	सहायिका	ST
51		दांता	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	ST
52		खुशियारा	नारायणखेड़ा	नारायणखेड़ा- I	सहायिका	ST
53		समली फाटक	रानीपुरा	रानीपुरा	सहायिका	ST
54		अजरोड़ा	बहराई	बहराई- I I	सहायिका	ST
55		महोदरा	सिरसोदखुर्द	सिरसोदखुर्द- I I	सहायिका	Gen
56		गणेशपुरा	डाबरी	डाबरी	सहायिका	ST
57		खाण्डा सहरोल	बिरोली	बिरोली	सहायिका	ST
58		बिची	सुहानखो	सुहानखो	सहायिका	ST
59		गणेशपुरा	सूखासेमली	सूखासेमली	सहायिका	ST
60		शाहबाद	शाहबाद	शाहबाद-4	सहायिका	Gen
61		देवरी	देवरी	देवरी-3	सहायिका	ST

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के सैद्धिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- वैवाहिक स्थिति-** कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मों के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित -प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्रोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मापदण्ड निर्धारित जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जाएगा।
- दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न कम कम में वरीयता दी जाएगी।
(अ) विधवा, तलाक शुदा इनमें भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की (विधवा या तलाकशुदा महिला की जन्मतिथी के आधार पर) हुई हो।
(ब) विकलांग (स) अधिकतम आयु वाली महिला।
(द) अधिकतम आयु वाली महिला में भी दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी।

10. पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर के प्रमाण पत्र व आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मान्य होगा।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
12. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अंक दिया जावेगा।
13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका /प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी (एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त)/ डीपीएसई/ बीएसटीसी / डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग /आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7)एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8)विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस .को सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेंगे । अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
16. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
17. इस संबंध में विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
18. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(सी.एल.शर्मा)RAS

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां

क्रमांक: विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2026-27/959-968

दिनांक : 08/07/2026

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बारां।
4. श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर सहरिया विकास परियोजना शाहबाद।
5. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप खण्ड अधिकारी, समस्त जिला बारां। जिला बारां।/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बारां।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी,समस्त जिला बारां को भेजकर लेख है कि उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
9. सरपंच/सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका..... द्वारा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां